न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 139/2009 (धारा 75 भू राज अधि0 1956) (RCMS No.2009/00022)

द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)

1/1 श्यामबाबू
1/2 कल्लन
1/3 वॉवी
1/4 सोहनलाल
} पिस0 द्वारिका प्रसाद

1/5 श्रीमती मिम्मी देवी वेवा द्वारिका प्रसाद

} जाति ब्राहमण निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोनदेई पत्नी वेदरिया जाति गडरिया निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर।

.............असल रैस्पोडेन्ट

2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री भवानी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)

   2/1 जीतेन्द्र शर्मा
   2/2 राकेश शर्मा
   2/3 देवेश शर्मा
   } पिस0 महेन्द्र कुमार

   2/4 मु0 भगवानदेई पत्नी महेन्द्र कुमार

   } जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर

3. हुव्वी पुत्र भवानी जाति ब्राहमण निवासी पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर।

........तरतीवी रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 9/08 सोनदेई बनाम द्वारिका प्रसाद दिनांक 21.07.2009 (प्रा0पत्र 144 सीपीसी)

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. श्री नरेन्द्रपाल सिंह वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 1।

निर्णय

दिनांकः– 27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 21.07.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 सोनदेई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सी पी सी तहत अदालत के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ....''हाल खसरा नम्बर 267/0.41, 269/1044/0.21 किता–2 कुल रकबा 0.62 है0 स्थित ग्राम पिडयानी

27.8.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसील व जिला भरतपुर प्रार्थीया के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। अप्रार्थीगण (अपीलान्टस) ने इसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.12.1990 के द्वारा विवादित आराजी अपने नाम करा ली। इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड अभिलेख में रैस्पोडेन्ट/प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थीगण (अपीलान्टस) से अपने नाम करा लिया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 की अपील प्रार्थीया (रैस्पोडेन्ट) ने संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में पेश की। जिसमें संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2007 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 31.12.1990 को निरस्त कर दिया गया, परन्तु उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.12.1990 का रैवन्यू रिकार्ड में इन्द्राज होने की वजह से रैस्पोडेन्ट (प्रार्थीया) के नाम को विलोपित कर दिया गया। चूंकि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 को संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः पूर्व की स्थिति कायम की जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही रैस्पोडेन्ट/प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी पी सी को स्वीकार करते हुये तहसीलदार भरतपुर को आदेश दिये कि यदि किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव न हो तो आ0ख0नं0 267/0.41, 269/1044/0.21 किता–2 कुल रकबा 0.62 है0 स्थित ग्राम पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर पर दिनांक 31.12.1990 से पूर्व की स्थिति के अंकन राजस्व अभिलेख में किये जाये। उपखण्डाधिकारी भरतपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 21.07.2009 के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस तरतीवी रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अपीलान्टस व असल रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया था कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जावे, जो कि अन्तिम आदेश नहीं है। इसके बाबजूद रैस्पोडेन्ट की ओर से सीपीसी की धारा 144 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में हुई प्रविष्टि को निरस्त कर रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, जो

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

27.6.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कि नियम विरूद्ध है, क्योंकि सीपीसी के प्रावधान भू राजस्व अधिनियम व भू अभिलेख अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं और न ही इस आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुई प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजी के संबंध में नियमित वाद लम्बित है। इस तथ्य को रैस्पोडेन्ट के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। किसी भी भूमि के संबंध में वाद लम्बित रहने के दौरान राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके बाबजूद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने राजस्व रिकार्ड में हुई प्रविष्टि को परिवर्तित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से विवादित भूमि के संबंध में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.1990 की रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर अदालत हाजा की ओर से रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 25.07.2007 को पारित किया था। जब उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.1990 को अदालत हाजा द्वारा निरस्त कर दिया गया तो इसके आधार पर की गई प्रविष्टि को यथावत रखा जाना उचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 25.07.2007 की पालना नहीं किये जाने के कारण रैस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में सीपीसी की धारा 144 के तहत नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। सीपीसी की धारा 144 में यह प्रावधान है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय/डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त/संशोधित किये जाने पर पक्षकार की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व स्थिति बहाल की जावेगी। इसी प्रावधान के तहत रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 को पारित किया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। जहां तक एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में आर. आर.डी. 1974 एन.यू.सी. पेज 149 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिसके अनुसार एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सीपीसी के प्रावधान लागू होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.12.1990 को अदालत हाजा द्वारा निर्णय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27-8-2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 25.07.2007 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसलिये दिनांक 31.12.1990 के निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे की गई प्रविष्टि को पूर्व स्थिति में किये जाने बाबत रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में सीपीसी की धारा 144 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त धारा में वर्णित प्रावधान के तहत ही उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2009 को पारित किया गया है, जिसके लिये उपखण्ड अधिकारी पूर्ण रूप से सक्षम है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्टस ने तर्क दिया कि किसी भी प्रकरण में एल.आर.एक्ट व सीपीसी के दोनों प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपरोक्त आदेश उभयपक्षकारान को सुनकर पारित नहीं कर एकतरफा में पारित किया है। इसी प्रकार विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण वाद में होने वाले अंतिम निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि परिवर्तित की जा सकती थी। इसके बाबजूद उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये सीपीसी की धारा 144 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उपरोक्त आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में असल रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपरखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में सीपीसी की धारा 144 के तहत रैस्टीक्यूशन किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलान्टस को भी पक्षकार बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 को पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये यह उल्लेख किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2007 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 31.12.1990 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का समुचित अवसर देकर मौका व रिकार्ड की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। जिसकी पालना में उभयपक्षकारान को अदालत मातहत में दिनांक 25.08.2007 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उभयपक्षकारान के दिनांक 25.08.2007 व इसके बाद लगातार पेशियों पर उपस्थित नहीं होने के कारण एल.आर.एक्ट की धारा 136 का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2007 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त निर्णय में यह भी माना है कि विवादित भूमि के संबंध में मामला सबज्यूडिस होने का प्रमाणित नहीं है तथा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि उभयपक्षकारान के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है। जिसमें हक–हकूक तय होने हैं। विवादित आराजी के बाबत किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश पेश नहीं किये जाने और न ही ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि एल.आर.एक्ट के मामलों में सीपीसी की धारा 144 प्रभावी नहीं है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 निरस्त होने के कारण दिनांक 31.12.1990 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में किया जाना नियमानुसार मानते हुये रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य माना हैं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार भरतपुर को यह निर्देश दिये हैं कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो आराजी खसरा नंबर 267/0.41, 269/1044/0.21 किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 स्थित ग्राम पिडियानी तहसील भरतपुर के संबंध में दिनांक 31.12.1990 से पूर्व की स्थिति का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किये गये उपरोक्त आदेश दिनांक 21.07.2009 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि सीपीसी की धारा 144 में रेस्टीटयूशन के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है इस धारा में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त या संशोधित कर दिया गया हो तो संबंधित पक्षकार में से किसी भी पक्षकार द्वारा रेस्टीटयूशन के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किये जाने पर संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त धारा के तहत आदेश पारित किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 को पारित किया है, जिसमें तहसीलदार को यह निर्देश दिये गये थे कि विवादित भूमि के संबंध में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो आराजी खसरा नंबर 267/0.41, 269/1044/0.21 किता 2 कुला रकबा 0.62 है0 स्थित ग्राम पिडियानी तहसील व जिला भरतपुर पर दिनांक 31.12.1990 से पूर्व की स्थिति के अंकन राजस्व अभिलेख में किये जावें। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि उपखण्ड

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अधिकारी भरतपुर की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.1990 को अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 25.07.2007 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यद्यपि यह सही है कि अदालत हाजा की ओर से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर मौका व रिकार्ड की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में उपखण्ड अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उभयपक्षकारान के उपस्थित नहीं होने के कारण एल.आर.एक्ट की धारा 136 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 31.12.2007 के द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 के आधार पर की गई प्रविष्टि को यथावत रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के बाद रैस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से सीपीसी की धारा 144 के प्रार्थना पत्र पर उक्त आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित प्रतीत होता है। जहां तक वकील अपीलान्टस की ओर से दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो यदि सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्यथा आदेश जारी किया जाता है तो तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा सकता है, परन्तु उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किया गया आदेश दिनांक 31.12.1990 जो कि अदालत हाजा की ओर से निर्णय दिनांक 25.07.2007 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है, के आधार पर राजस्व रिकार्ड में की गई प्रविष्टि को यथावत रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *